

1.00 P.M.

Need for proper implementation of the provisions of protection of women from Domestic Violence Act

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान घरेलू हिंसा कानून के तहत उत्पन्न महिलाओं की स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

घरेलू हिंसा रोकने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया तथा अक्टूबर 2006 में इसे प्रभावी बनाया गया। इस कानून के पास होते ही घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाओं में एक आशा की किरण दिखी। परन्तु जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। इस कानून के प्रावधान बहुत अच्छे हैं, परन्तु इनका कार्यान्वयन इतना ढीला है कि स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। कार्यान्वयन का खराब ढांचा, फंड की कमी और सरकार के विभागों और न्यायपालिका में समन्वय की कमी, ऐसी कुछ कमियाँ हैं, जिनके कारण यह कानून सिर्फ कागजी जीनत बना हुआ है।

हकीकत यह है कि बहुत से राज्यों ने Protection Officer ही appoint नहीं किये हैं। अगर किये हैं तो किसी एक अधिकारी को अतिरिक्त भार दे दिया है, जिसके पास समय ही नहीं है। इस कानून में Protection Officer एक ऐसी कड़ी है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। राज्यों ने इस कानून के लिए कोई पैसा अलग से निर्धारित नहीं किया है। इस कानून के लिए जरूरी ढांचा राज्यों ने तैयार नहीं किया है। पुलिस का रवैया भी कानून के प्रति उदासीन है, क्योंकि यह एक Civil Law है। ज्यादातर केसों में बहुत विलंब हो रहा है। अतः इन सब को देख कर लगता है कि हमें सिर्फ कानून बनाने की जल्दी है। इसके लिए आवश्यक ढांचा या कार्यान्वयन की किसी को कोई चिन्ता नहीं है। ज्यादातर केसों में महिलायें उतनी ही परेशान हैं, जितनी कि कानून बनने से पहले थीं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस भावना और उद्देश्य को लेकर यह कानून बनाया गया है, उसे ध्यान में रख कर इसके कार्यान्वयन में हो रही उक्त और अन्य कमियों को दूर किया जाये।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, मैं इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): सर, मैं इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री अनिल दवे (मध्य प्रदेश): सर, मैं इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

Need to bring out the Hindi and English translated versions of Ritu Samhar written by Kalidas

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, भारत सरकार के अनुदान से चलने वाली ललित कला अकादमी ने महान कवि कालिदास की कृति *ऋतु समहार* के हिन्दी और अंग्रेजी में किए गए अनुवाद को पिछले दो दशकों से ठंडे बस्ते में रखा है, जबकि अकादमी के सचिव द्वारा अनुवादक को यह आश्वस्त किया गया था कि उसे सचित्र प्रकाशित किया जाएगा। यह महाकाव्य भूमंडलीय तापमान एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अति महत्व का है, परन्तु अकादमी के अधिकारियों द्वारा पाण्डुलिपि को ठंडे बस्ते में रखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंतनीय है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि वह ललित कला अकादमी को इस महाकाव्य के अंग्रेजी और हिन्दी में किए गए अनुवाद को सचित्र प्रकाशित करने का निर्देश दे।

Need to provide the facility of electric trains in Madurai

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to bring to the notice of the Government the long pending demand for establishing electric train facility in the Madurai Metropolitan City connecting its allied sub-urban areas and neighbouring towns. Madurai, an ancient city located on the banks of the Vaigai River, is one of the thickly populated metropolitan